

694 व्यक्ति भर्ती किये जिसमें से 615 व्यक्ति दिहाड़ी कर्मचारी थे, जो भर्ती पर रोक लगाये जाने के पहले से कार्य कर रहे थे तथा उन्हें न्यायालय के आदेशों के आधार पर नियमित किया गया था। इस प्रकार सुपर बाजार में की गयी नयी भर्ती मुख्य रूप से फार्मासिस्ट, आशुलिपिक, वैज्ञानिक सहायक, विधि अधिकारी आदि जैसी तकनीकी श्रेणियों में की गयी। इस समय सुपर बाजार में कुल 2145 कर्मचारियों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 227 और 5 हैं। जहाँ तक प्रोन्नति में आरक्षण का सम्बन्ध है, इसे 12.497 से लागू किया गया है। सुपर बाजार में आरक्षण रोस्टर 1.7.98 से शुरू किया गया है।

(घ) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उन्होंने 23.5.98 से तीन महीने की अवधि के लिये एक सहायक महाप्रबंधक को स्थानापन्न उप महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति दूसरे उप महा प्रबंधक के छुट्टी पर जाने के कारण रिक्त हुए पद पर की गयी है। यह सब है कि अधिकारी को चार्जशीट दी गयी है। तथापि, संगठन में वरिष्ठ अधिकारियों की कमी को देखते हुए तथा संगठन के दिन प्रतिदिन के कार्यों के हित में सुपर बाजार द्वारा स्थानापन्न नियुक्ति की गयी है।

श्री चुन्नी लाल चौधरी: माननीय सभापति महोदय, जो उत्तर मिला है उसमें यह दिया है कि 1984 में सुपर बाजार में साढ़े सात प्रतिशत प्रत्येक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोटा रखा और फिर 1990 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत और साढ़े सात प्रतिशत का कोटा रखा तथा 1998 में आरक्षण रोस्टर शुरू किया। इन उत्तरों के बाद मेरा पहला पूरक प्रश्न है कि क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि 1984 से 1988 तक जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोटा पूरा नहीं किया गया है उसको पूरा करने के लिए क्या कोई विशेष अभियान की योजना है?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: मार्च, 1988 में (रिज़र्वमेंट पर बैन लगा दिया और उसके बाद फ्रेश रिज़र्वमेंट नहीं हुआ, अभी भी फ्रेश रिज़र्वमेंट शुरू नहीं किया गया है। जब भी फ्रेश रिज़र्वमेंट होगा तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा।

श्री चुन्नी लाल चौधरी: जैसा कि सूचित किया गया है कि 23.5.98 को तीन महीने की अवधि के लिए एक

सहायक महाप्रबंधक को स्थानापन्न उप महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है। मेरा प्रश्न यह है कि जिस उप महाप्रबंधक को नियुक्त किया गया है क्या वह चार्ज-शीट अफसर नहीं है, सहायक उप महाप्रबंधक के रूप में चार्जशीट नहीं है? क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि ऐसा क्यों किया गया है? और यदि किया गया है तो उनके खिलाफ क्या कोई डिसिप्लनेरी एक्शन हो रहा है?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: उस अफसर के खिलाफ केस था, उसके खिलाफ शिकायत थी। उस पर तो डिसिप्लनेरी एक्शन हो रहा है। उसको नोटिस दिया गया है। लेकिन अफसरों को कमी की वजह से इनको यह तीन महीने के लिए टेम्परेरी प्रमोशन दी गई है।

*269. [The questioner (Shrimati Jayaprade Nahata) was absent. For answer vide col. 27 infra]

रेल गाड़ियों और रेलवे द्वारा संचालित कैंटीनों में गोश्त परोसा जाना

*270 श्री मोहम्मद आजम खान:

मौलाना औबैदुल्ला खान आजमी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेस्त्रांड़ियों और रेलवे द्वारा संचालित कैंटीनों में मछली को छोड़कर सभी प्रकार के गोश्त का परोसा जाना बंद कर दिया जाएगा; यदि नहीं, तो क्या वहाँ 'जबीहें' के गोश्त के बजाय 'झटके' का गोश्त परोसा जाएगा और क्या ऐसे संसद सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों, जो 'जबीहें' के गोश्त के अलावा कोई अन्य गोश्त नहीं खा सकते, के लिए कोई व्यवस्था की जाएगी?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): जी नहीं। मौजूदा व्यवस्था में परिवर्तन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खान: चेयरमैन सर, यह कुछ ऐसा सवाल है जो मन से भी जुड़ा हुआ है। अब तक किसी के यह पूछने पर कि रेलवे द्वारा संचालित कैंटीन में गोश्त कैसा है, तो हलाल और झटके की सूचना दी जाती थी। मुसलमान क्योंकि झटका नहीं खाते हैं और हलाल गोश्त ही खाते हैं, लिहाजा कोई ऐसी व्यवस्था का प्रावधान उन सदस्यों के लिए जो झटके का गोश्त नहीं खाते हैं, हलाल खाते हैं, हलाल गोश्त का इन्तजाम किया जाएगा?

श्री नीतीश कुमार: सभापति जी, मैं न झटका खाने वाला हूँ और न हलाल खाने वाला हूँ, मैं तो शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूँ। लेकिन यह सवाल मांसाहारी लोगों से जुड़ा हुआ है। जहाँ तक पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स कैन्टीन का सवाल है, मुझे सूचना दी गई है कि यहाँ हलाल मीट ही सप्लाय किया जाता है।

श्री एस एस अहलुवालिया: सर, झटका खाने वालों का क्या होगा? वेजीटेरियन तो मैं भी हूँ लेकिन यह तो बड़ी गम्भीर बात है कि आज तक बिना बताए लोगों को हलाल मीट ही पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स कैन्टीन में खिलाया जाता रहा है। या तो इस बात को लुकाकर रखते और जब यह बता दिया है तो यह बड़ी सीरियस बात है।

श्री नीतीश कुमार: यह तो सवाल पूछने वाले को सोचना है।

श्री एस एस अहलुवालिया: इतने हिन्दू और सिख हैं जो झटका छोड़कर खाते नहीं हैं। अगर आप झटके के नाम पर हलाल गोश्त खिला रहे हैं तब तो लोगों को अपने जेनेऊ बदलने पड़ेंगे।

श्री ओंकार सिंह लखावत: सभापति महोदय, यह गंभीर मसला है। यह सामान्य बात नहीं है। संसद क्षेत्र के अंदर, जो स्लैग हलाल नहीं खाते उनको हलाल खिलाया जा रहा है। हलाल न होने पर तो अभी हमारे मित्र ने सवाल किया। वह अपनी जगह पर सही हैं। लेकिन रेल मंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री जी भी देख लें कि संसद में जो लोग हलाल नहीं खाते उनको हलाल का गोश्त न पुरसा जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो यह धर्म के साथ खिलवाड़ होगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह कितने वर्षों से हो रहा है यह आप कृपया बता दें। ... (व्यवधान)...

श्री एस एस अहलुवालिया: यहाँ पर गोश्त बंद कर दीजिए, किसी को सर्व करना बंद कर दीजिए ... (व्यवधान) ... यह एकदम गलत बात है। चेरमैन साहब, आप इस मामले में इंटरवीन करें और जनरल पर्पज कमेटी की बैठक बुलाकर इस बारे में कोई फैसला लीजिए। यह बड़ा सीरियस मामला है जो यहाँ पर लोगों को हलाल खिलाया जा रहा है।

श्री नीतीश कुमार: आप बैठ जाइए अभी तो मैं जवाब दूंगा। ... (व्यवधान)...

सभापति महोदय, जब से यह प्रश्न मेरे सामने आया तब से मुझे बड़ी परेशानी है। मैंने अपनी परेशानी व्यक्त भी की, विभाग में भी व्यक्त की। मैंने पूरी खोजबीन की कि क्या मामला है। अब तक इस तरह का प्रश्न, यह सवाल कभी नहीं उठा था। मीट को आईडेंटिफाई करना कि सप्लायर झटका मीट दे रहा है या हलाल मीट दे रहा है यह संभव नहीं है। ... (व्यवधान) ... मेरी पूरी बात तो सुन लें।

श्री सभापति: पहले सुन तो लें उसके बाद कहें।

श्री एस एस अहलुवालिया: लेकिन आप यह बात गलत कह रहे हैं। जब कोई भी गर्वमेंट आर्गनाइजेशन, कोई भी होटल मीट का टैंडर निकालता है तो वह उसमें कहता है कि हमें इतने किलो झटका चाहिए और इतना किलो हलाल चाहिए। आप अगर रेलवेज के लिए गोश्त ले रहे हैं तो किस चीज को लेना है और किस चीज को नहीं लेना है इसे कौन बताएगा या कौन बता सकता है?

श्री नीतीश कुमार: आप जरा सुन लीजिए। आप झटका खाते हैं, वह हलाल खाते हैं। मैं दोनों में से कुछ नहीं खाता हूँ।

श्री एस एस अहलुवालिया: मैं भी कुछ नहीं खाता हूँ। ... (व्यवधान)...

श्री नीतीश कुमार: सर, क्योंकि यह सवाल उठ गया है इसलिए इसको पूरा एक्सप्लेन करने का मौका मिलना चाहिए। अलग अलग रेलवेज में अलग अलग चीजों की आपूर्ति होती है। जहाँ तक मीट का सवाल है अगर आप कहें तो किस रेलवे की क्या कमेटी है, वह भी मैं अभी यहाँ पर पढ़कर सुना सकता हूँ। लेकिन इसके पहले यह सवाल कभी नहीं उठा था। आमतौर पर जो मीट का टैंडर मीट के बेस किचन के लिए किए जाते हैं, जो चलती गाड़ियों में सप्लाय होती हैं या जो कैटरिंग स्ट्रैटिक प्वाइंट पर होती हैं उनको सप्लाय होती हैं, उनके लिए सरकारी क्षेत्र में या रेलवे जो कैन्टीन खुद चलाती हैं उनमें, या वहाँ जो गैर सरकारी कैटरिंग चलती हैं, जिनको गैर-सरकारी ठेकेदार चलाते हैं, उन सबको आमतौर पर गोश्त के बारे में कोई आईडेंटिफिकेशन नहीं होता है कि सप्लायर क्या गोश्त दे रहा है।

SHRI MD. SALIM: Sir, let him seek a second supplementary.

MR. CHAIRMAN: He is replying. Let him finish.

श्री नीतीश कुमार: मेरे सामने जो अभी तक रिकार्ड्स लिए गए हैं उसके हिसाब से जवाब दे रहा हूँ। मैं मात्र तीन महीने, सौ दिन मंत्री रहा हूँ। इसलिए आप मेरी पूरी बात समझ लीजिए। ... (व्यवधान) ... जिस तरह से भी पुरा हुआ लेकिन हुआ है और बाकी के पांच साल भी ऐसे ही पूरे हो जायेंगे। आप अंदाजा करते रहेंगे और गाड़ी चलती रहेंगे। ... (व्यवधान) ... आप तो कविता पढ़ते रहे हैं। मुझे दोनों में से किसी में भी दिलचस्पी नहीं है, कवि जो मेरी दिलचस्पी दोनों में से किसी में नहीं है।

श्री सभापति: वह दोनों खाते होंगे।

श्री बालकवि बैरागी: मैं तो जन्मजात बैरागी आदमी हूँ। मैं न यह करता हूँ और न वह करता हूँ।

श्री नीतीश कुमार: सभापति महोदय, मैंने जब पता किया तो मुझे जानकारी मिली कि आमतौर पर पार्लियामेंट से जुड़ी हुई कैंटरिंग में हलाल मीट की आपूर्ति होती थी। लेकिन 1996 में नार्दन रेल्वे के एस.सी.एम. लेवल के अधिकारी ने 1996 में टैंडर निकाले। जिसमें यह कहा गया कि हलाल मीट यहाँ दिया जाए और वह टैंडर 1997 में हुआ। वह अक्टूबर, 1997 से अप्रैल तक का टैंडर था, वह टैंडर अब समाप्त हो चुका है। नया टैंडर बुलाया गया, आमन्त्रित किया गया लेकिन कोई सामने नहीं आया। तो लोकल मार्केट से परचेज हो रहा है। ऑन रिकार्ड 1996 में, जितनी भी फाइल मैंने देखी, किसी वरिष्ठ अधिकारी का कोई आदेश नहीं मिला। मैंने बहुत जानने की कोशिश की और जो जानकारी मुझे अनौपचारिक तौर से मुझे मिली, वह औपचारिक रूप से बताना मेरे लिए कठिन है क्योंकि यह एक संवेदनशील मामला है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस प्रकार के सवाल और इस सवाल पर आग्रह या पार्लियामेंट में मीट के बारे में आईडेंटिफाई करना यह हलाल मीट है या झटका मीट है, जहाँ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन बिलकूल अलग अलग हो जाता है। हम को यह बताया गया कि बर्तन भी अलग रखे जाते हैं। जो वेजिटेरियन खाने वाले लोग हैं, उनके बर्तन भी अलग रखे जाते हैं और जो नॉन वेजिटेरियन खाने वाले हैं, उनके बर्तन भी अलग रखे जाते हैं, मुझे बताया गया है, विभाग के द्वारा जानकारी दी गई है। लेकिन जहाँ तक मीट खाने वालों का सवाल है, मीट खाने वालों के लिए यह आईडेंटिफाई करना कि यह झटका साइड रहेगा, यह हलाल साइड रहेगा, इसमें व्यावहारिक कठिनाई है। सभापति महोदय, आप जो निर्देश दें, आपका निर्देश सर्वोपरि है।

जो यहाँ से निर्देश मिलेगा, उसका पालन किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री एस एस अहलुवालिया: वेजिटेरियन कर दीजिये (व्यवधान)

मौलाना हबीबुर्रहमान नोमानी: मुसलमान जो गोश्त खाता है ... (व्यवधान)

[[مولانا حبیب الرحمن نومانى: مسلمان جو گوشت کھاتا ہے... "مداخلت" ...]]

श्री मोहम्मद आजम खान: मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी क्वेश्चन है। ... (व्यवधान)

श्री सभापति: उनका सेकंड सप्लीमेंटरी है, वह तो करने दीजिये। ... (व्यवधान) उनका राइट तो उनको मिल जाए।

श्री मोहम्मद आजम खान: सभापति महोदय, यह हो सकता है कि अभी तक यह जानने की जरूरत पेश न आई हो कि किस तरह का मीट यहाँ खाया जा रहा है लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद कम से कम यह सोचा जाना चाहिये था कि कैंटीन में .. (व्यवधान)

श्री एस एस अहलुवालिया: यह क्या कह रहे हैं (व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खान: अब मुझे कहने दीजिये। आपको जो कहना था, आप कह चुके हैं। दूसरों को बोलने दिया कीजिये। मेरे लिए यह बिलकूल कष्ट का विषय नहीं होगा कि यहाँ मीट बिलकूल बंद कर दिया जाए, शाकाहारी रहे लेकिन अगर यहाँ मीट मिलता है तो यह व्यवस्था जरूर होनी चाहिये कि मुसलमानों के लिए या उन लोगों के लिए जो हलाल मीट खाना चाहें, उनके लिए हलाल की व्यवस्था हो वरना इसमें कोई कष्ट नहीं होगा कि कैंटीन से गोश्त का सिलसिला ही खत्म हो जाए, कैंटीन वेजिटेरियन रहे। लेकिन अगर यहाँ गोश्त हो, आपका मन और मानसिकता चूंकि मालूम थी, इसलिए यह प्रश्न किया गया है, अभी जैसे कि हमारे दूसरे सदस्यों ने आपत्ति जाहिर की कि जो झटका खाते हैं, उनको अब तक हलाल क्यों खिलाया गया। यह सवाल अब से पहले अगर यहाँ उठा होता तो मैं यह कह सकता हूँ कि यह जवाब न होता क्योंकि उनकी पार्टी की सरकार में भी हलाल गोश्त मिलता रहा। लिहाज़ा मैं यह जानना चाहूँगा और मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी कि गोश्त न मिले लेकिन अगर गोश्त मिले तो

हलाल और झटका सुनिश्चित किया जाए ताकि हलाल खाने वाले हलाल खाएं और झटका खाने वाले झटका खाएं। इस प्रकार की अगर सरकार कोई व्यवस्था कर सकती हो तो करे अन्यथा यह गोश्त का सिलसिला खत्म होना चाहिये। ... (व्यवधान)

श्री सभापति: अब मिनिस्टर का जवाब आ लेने दीजिये।

श्री नीतीश कुमार: सभापति महोदय, इस संबंध में जो वस्तु-स्थिति है, मैं उससे सदन को अवगत करा चुका हूँ। मैं नहीं समझता कि यह कोई सवाल और जवाब का आधार बनता है। क्या किया जाए, इसका सवाल उठता है। एक सुझाव उन्होंने दिया है कि मछली और अंडा जो होता है, वह न हलाल होता है और न झटका होता है। रेलवे में पूरे देश में यह सिस्टम लागू किया जा सकता है कि नॉन वेजिटेरियन में सिर्फ अंडा और मछली की आपूर्ति की जाएगी, इसके लिए किसी अन्य नॉन-वेजिटेरियन आइटम की आपूर्ति नहीं होगी। सभापति महोदय, अगर आपका निर्देश हो तो जरूर यह निर्णय लिया जा सकता है लेकिन इसके लिए पूरा आपका निर्देश चाहिये।

श्री एस एस अहलुवालिया: यही कर दीजिये। (व्यवधान)

श्री सतीश प्रधान: सभापति महोदय, हमारे मुंबई में म्युनिसिपल कारपोरेशन का स्लाटर हाऊस है, सारा काम वहीं पर होता है। वहां पर इलेक्ट्रिक से पहले झटका हो जाता है और फिर कटिंग हो जाता है। वही मीट पूरे मुंबई में सप्लाय किया जाता है। मुंबई में जिस ढंग से होता है सब जगह यही व्यवस्था की जाए तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। ... (व्यवधान) यहां पर अलग अलग बाहर से, कहीं से काट कर लाने की व्यवस्था होती है। जो म्युनिसिपल कमेटी के स्लाटर हाऊस में कटिंग होती है वहां से सप्लाय करना शुरू कर दें तो फिर उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Functioning of IGNC A

*263. SHRI RAJ NATH SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is an inherent contradiction in the basic functioning

of IGNC A wherein the 'trustees' have made themselves 'life time trustees' following an amendment in the original trust deed but not even a single employee has been confirmed;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the steps Government propose to take to resolve the above contradiction and thereby grant confirmation status to all the employees; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) to (d) The Trust Deed of IGNC A, as amended in May, 1995, provides for life trustees.

According to the information furnished by IGOCA all appointments in the Centre are project-based and are temporary. Central Government rules are followed to the extent applicable.

The opinion of the Attorney General of India has been sought on the amendments carried out to the trust deed and the options open to the Government.

Indira Mahila Yojana

*264. SHRI BANGARU LAXMAN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the details regarding the grants given to the States under the States under the Indira Mahila Yojana during the last two years, State-wise;

(b) the number of women benefitted;

(c) the States which have not been given grant under the Yojana; and

(d) the reasons therefore?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT DR. MURLI MANOHAR JOSHI:

(a) No grants have been released under Indira Mahila Yojana to the States during the last two years;

(b) As per available information, 31,000 women's groups have been formed to benefit